No.36017/1/2007-Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, Dated the 4th July, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Revision of quantum of reservation for Scheduled Tribes in case of direct recruitment to Group 'C' and 'D' posts normally attracting candidates from a locality or a region in the State of Goa.**

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No. 36017/1/2004-Estt.(Res.) dated 5th July, 2005 revising the quantum of reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in case of direct recruitment to Group 'C' and 'D' posts normally attracting candidates from a locality or a region keeping in view the figures of the 2001 Census. The quantum of reservation for SCs, STs and OBCs in case of direct recruitment to Group 'C' and 'D' posts normally attracting candidates from the regions of the State of Goa was fixed as 2%, 0% and 18% respectively. Some communities in the State of Goa have since been notified as Scheduled Tribes by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 dated 8.1.2003 after the Census 2001 was conducted. As a result of this, the proportion of population of STs in the State of Goa is now estimated at 12.07%. It has accordingly been decided to fix the quantum of reservation for STs in case of direct recruitment to Group 'C' and "D' posts normally attracting candidates from a locality or a region in the State of Goa at 12%. The entry against Sl. No. 06 of Annexure to this Department's O.M. No.36017/1/2004-Estt.(Res.) dated 5th July, 2005 would, therefore, stand substituted by the following: -

Sl.No.	Name of the State/UT	Percentage of reservation		
		SCs	STs	OBCs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06	Goa	2	12	18

2. These orders will take prospective effect from the date of issue of →

this O.M. However, the cases where the vacancies have already been advertised in accordance with the percentages of reservation existing prior to issue of this O.M. may not be reopened.

3. Contents of this O.M. may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director
23092158

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and all attached/subordinate offices of this Ministry.
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
5. Department of Public Enterprises, New Delhi.
6. Railway Board.
7. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
8. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
9. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for SCs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
11. National Commission for STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
12. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
13. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
14. CBI, LBSNAA, SSC, ISTM, PESB, Central Sectt. Library, MHA Library.
15. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi.
16. The Registrar General of India, 2-A, Man Singh Road, New Delhi-110011 w.r.t. D.O. No.34/3/2005-SS(Goa) dated 5.4.2007.
17. The Directorate of Social Welfare, Government of Goa, Panaji, Goa w.r.t. letter No.13/14/2004-SWD dated 5.2.2007.
18. 300 spare copies for Estt.(Res.) Section.

संख्या - 36017/1/2007- स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 04 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः गोवा राज्य के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 05 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 36017/1/2004-स्थापना (आरक्षण) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मात्रा में संशोधन किया गया था । समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः गोवा राज्य के क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा क्रमशः 2 प्रतिशत, 0 प्रतिशत और 18 प्रतिशत नियत की गई थी । वर्ष, 2001 की जनगणना हो जाने के बाद गोवा राज्य में कुछ समुदायों को, दिनांक 08.01.2003 के अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप, अब गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात 12.07% आंका गया है । तद्नुसार, समूह 'ग' तथा 'घ' पदों, जिन पर सामान्यतः गोवा राज्य के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रुचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की मात्रा 12% आंकलित की गई है । अतः इस विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004-स्थापना (आरक्षण) के अनुबंध के क्रम संख्या 06 के सामने दी गई प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	आरक्षण की प्रतिशतता		
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य पिछड़े वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
06	गोवा	2	12	18

2. ये आदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से भावी प्रभाव से लागू होंगे । तथापि, ऐसे मामले, जहां रिक्तियां, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पूर्व मौजूद आरक्षण की प्रतिशतता के अनुरूप पहले ही विज्ञापित की जा चुकी है, पुनः न खोले जाएं ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु सभी संबंधितों के नोटिस में लाई जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग और इस मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेलवे बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम चयन बोर्ड, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
16. भारत का महापंजीयक, 2-क, मानसिंह रोड, नई दिल्ली -110001 को दिनांक 5.4.2007 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 34/3/2005-एस.एस. (गोवा) के संदर्भ में ।
17. सामाजिक कल्याण निदेशालय, गोवा सरकार, पणजी गोवा, को दिनांक 5.2.2007 के पत्र संख्या 13/14/2004-एस.डब्ल्यू. डी. के संदर्भ में ।
18. स्थापना (आरक्षण) के लिए 300 अतिरिक्त प्रतियां ।